हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म तामील में जारी हुये

वकील उभयपक्ष उपस्थित। उभयपक्ष की बहस प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी वास्ते खसरा नंबर 267 बांके ग्राम बगचौली खार पर लगे स्थगन आदेश के नोट को हटाये जाने पर सुनी गयी। वकील प्रार्थी का कथन है कि न्यायालय श्रीमान में एक वाद उनवानी सूरजभान बनाम फतेसिंह जिसका प्रकरण संख्या 119/2004 था। न्यायालय में दिनांक 31.08.2004 को दर्ज किया गया। उपरोक्त वादपत्र के साथ एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटी एक्ट प्रस्तुत किया गया। जिसका प्रकरण कमांक 85/2004 था जिसमें न्यायालय श्रीमान द्वारा इस बात की अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गयी कि आराजी खसरा नंबर 267 ग्राम बगचौली खार तहसील धौलपुर को दिनांक 31.08.204 तक हस्तान्तरित न करें। उपरोक्त आदेश का परवाना तहसीलदार धौलपुर को जारी किया गया। जिस पर तहसीलदार धौलपुर ने पटवारी हल्का को आदेशित कर जमाबंदी पर स्थगन का नोट अंकित करने का आदेश दिया। जिस पर जमाबंदी पर नोट भी अंकित हो गया। जो निरंतर चला आ रहा है। प्रार्थीगण के पिता फतेसिंह का देहान्त 16.03.2021 को हो गया। जब प्रार्थीगण फतेसिंह के देहान्त उपरांत विरासत नामान्तकरण खोले जाने हेतु पटवारी हल्का के पास गये तो पटवारी हल्का ने बताया कि खसरा नंबर 267 पर स्थगन का नोट अंकित है। जिस कारण तुम्हारा नामान्तकरण नहीं भरा जा सकता। इस पर प्रार्थीगण ने न्यायालय में आकर जानकारी की तो उन्हे ज्ञात हुआ कि जिस वादपत्र में स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था उपरोक्त दोनों पत्रावली वादपत्र व स्थगन प्रार्थना पत्र न्यायालय से काफी अरसा पूर्व गुम हो चुकी है। जिस कारण उपरोक्त पत्रावलियों की नकल प्रार्थीगण को नहीं मिल सकती है। उपरोक्त प्रकरण के निस्तारण का अंकन फैसला रजिस्टर में है जिसकी नकल अगर आप लेना चाहों तो लेलों। प्रार्थीगण द्वारा फैसला रजिस्टर की नकल प्राप्त कर तहसील मनियां में नोट हटाये जाने हेतु निवेदन किया तो उन्होने कहा कि आप न्यायालय से स्थगन का नोट हटवाने का आदेश लेकर आओ। जिस कारण प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। कि जब न्यायालय के फैसल रजिस्टर में यह अंकन है कि उपरोक्त वाद दिनांक 30.06.2006 को निर्णित किया जा चुका है तो फिर स्थगन आदेश के नोट का लगे रहने का कोई औचित्य नहीं है। न्यायालय द्वारा उपरोक्त नोट को हटाये जाने हेतु आदेश जारी करने का पूर्ण अधिकार है। अतः आराजी खसरा नंबर 267 पर लगे स्थगन आदेश के नोट को हटाये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

वकील अप्रार्थीगण ने जवाब बहस में अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि फैसला रजिस्टर में अंकन होने से ही यह नहीं माना जा सकता कि उपरोक्त शीर्षक वाद स्वीकार किया गया है या खारिज किया गया है। क्योंकि फैसला रजिस्टर में इस बात का कोई अंकन नहीं है प्रकरण संख्या 119/2004 स्वतः घोषणा वाद था यदि वाद स्वीकार किया होगा तो प्रार्थीगण के पूर्व पुरूष के नाम का जो इन्द्राज राजस्व अभिलेखों में था वह कलमजद किया जायेगा तथा उत्तरदाता के पूर्व पुरूष के नाम का इन्द्राज राजस्व अभिलेखों में होगा। बिना निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रतिलिपि के आज यह तय नहीं किया जा सकता है कि विवादित आराजी के स्वामी कौन है। दौराने बहस वकील अप्रार्थी ने यह भी कथन किया कि उपरोक्त प्रकरण में सूरजभान के समस्त वारिसानों को पक्षकार नहीं बनाया है। जिसके कारण प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज0)

वकील अप्रार्थीगण द्वारा यह कथन भी किया गया है कि उभयपक्षों द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि उपरोक्त शीर्षक के प्रकरण की मूल पत्रावली न्यायालय श्रीमान से गुम हो चुकी है। जिस बाबत् उप जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर द्वारा जांच भी लंबित है। इस कारण न्यायालय का यह दायित्व है कि वह दोनों पक्षों की ऑफिस पत्रावलियों में से प्रतिलिपि प्राप्त कर पुनः पत्रावली तैयार करे तथा प्रकरण का पुनः गुणावगुण के आधार पर निस्तारण करें।

हमने बहस उभयपक्ष का मनन किया। उभयपक्ष के द्वारा स्वीकृत तथ्य है कि उपरोक्त प्रकरण की मूल पत्रावलीयां न्यायालय से गुम हो चुकी है। जिसके विरूद्ध कार्यालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर में जांच भी लंबित है जिस कारण यह नही माना जा सकता कि उपरोक्त शीर्षक प्रकरण अंतिम रूप से निस्तारित कर दिया गया है। जब तक मूल पत्रावलीयां न्यायालय में प्राप्त नहीं हो जाती तब तक न्यायालय इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकती कि मूल वाद के साथ जो प्रार्थना पत्र स्थगन प्रस्तुत हुआ था वह इस न्यायालय द्वारा अंतिम रूप से निस्तारित कर दिया गया है कि नहीं क्योंकि पत्रावली पर जो आदेशिका की फोटो प्रतिलिपि प्रस्तुत की है वह दिनांक 16.01.2006 की है। जिसमें न्यायालय द्वारा जारी की गयी अस्थाई निषेधाज्ञा की अवधि दिनांक 30.01.2006 तक बढाये जाने का आदेश पारित किया गया है। उसके बाद की आदेशिका की कोई प्रति वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नही की गयी है। वकील प्रार्थीगण द्वारा सूरजभान के समस्त वारिसान को उपरोक्त प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया है। जहां तक पुनः सुनवाई का प्रश्न है तो वकील प्रार्थी ने उसके पास कोई पत्रावली उपलब्ध नहीं होना कथन किया है। उभयपक्षकारान न्यायालय में अपने पास उपलब्ध वादपत्र, जवाब दावा व दस्तावेजों की प्रतिलिपि प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर पुनः पूर्ववर्ती प्रकरण की कार्यवाही चालू किये जाने हेतु स्वतंत्र है। चूंकि उपरोक्त शीर्षक वादपत्र व स्थगन प्रार्थना पत्र की पत्रावलीयां न्यायालय में वर्तमान में उपलब्ध नहीं है ऐसी स्थिति में धारा 151 सीपीसी के माध्यम से स्थगन हटाये जाने के आदेश दिया जाना उचित नहीं है। अतः हम प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाना उचित नहीं समझते है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी खारिज फरमाया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर होकर नंबर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज0)